रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2003/फाल्गुन 29, 1924
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2003/PHALGUNA 29, 1924

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2003

### अंतरिम नीति विनियम

सं. एफ. 37-3/विधिक (v)/2003.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 सहपठित धारा 10 (ख), 10 (जे), तथा 10 (ण) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित अंतरिम विनियम बनाती है:-

**पृष्ठभूमि :**

रिट याचिका संख्या 317 (1993), 'टी एम ए पई प्रतिष्ठान बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ द्वारा 31 अक्टूबर, 2002 को सुनाए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, अभातशिप विनियमों एवं दिशा निर्देशों के विभिन्न उपबंधों में कुछ परिवर्तन किये जाने आवश्यक हैं।

**परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए एक अंतरिम नीतिगत घोषणा की जाये जिससे कि तकनीकी संस्थाओं को आगामी शैक्षिक वर्ष 2003-2004 से कुछ प्राप्त होने लगें।**

शुल्कों तथा प्रवेश के बारे में अभातशिप के विनियमों के संशोधन पर विचार चल रहा है और जब तक इनमें संशोधन नहीं किया जाता तब तक, विद्यमान उपबंधों को निरस्त करते हुए अधोवर्णित अंतरिम विनियम लागू होंगे।

**प्रयोज्यता :**

**ये विनियम उन सभी तकनीकी संस्थाओं और तकनीकी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों पर लागू होंगे जो अभातशिप के विद्यमान विनियमों द्वारा शासित हैं।**

**(1) प्रवेश :**

अल्पसंख्यक एव गैर-अल्पसंख्यक- दोनों ही प्रकार की तकनीकी संस्थाओं के प्रबंधन, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने की किसी निश्चित अथवा तर्कसंगत विधि का अनुसरण करेंगे। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि व्यावसायिक शिक्षा में

उत्कृष्टता के लिए, प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के गुणानुक्रम पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता होगी और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त विनियम बनाये जाएं। व्यावसायिक एवं तकनीकी महाविद्यालयों के लिए गुणानुक्रम का निर्धारण, आमतौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित समान प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है। तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश देने के मामले में निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित किया गया विद्यार्थियों का गुणानुक्रम ही प्रवेश का मापदण्ड होगा।

उक्त निर्णय के अनुपालन में निजी गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं के प्रबंधनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रबंधन सीटों के अंतर्गत, गुणानुक्रम में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया की क्रियाविधि विकसित करें और यह काम संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली क्रियाविधि को अपनाकर ही सबसे अच्छे ढंग से किया जा सकता है ताकि विद्यार्थियों के हित में और पूरे समाज के हित में प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता में कमी लाई जा सके। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि देश की विभिन्न निजी गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया को सुकर बनाने की दृष्टि से अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं को चाहिए कि वे केन्द्र अथवा राज्य की ओर से आयोजित समान प्रवेश परीक्षा में आवश्यक रूप से शामिल हों और इस प्रकार पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

प्रबंधन के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटें वर्तमान परम्परा के अनुरूप, केन्द्र/राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संयुक्त प्रवेश परीक्षा/समान प्रवेश परीक्षा और तत्पश्चात् प्रवेश परामर्श के माध्यम से भरी जाएं। तथापि, निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाएं, केन्द्र/राज्य सरकार की संयुक्त प्रवेश परीक्षा/समान प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई उसी गुणानुक्रम सूची से विद्यार्थियों को लेकर प्रबंधन सीटों को अपने खुद के उद्देश्यपरक एवं पारदर्शी ढंग से किये जाने वाले प्रवेश परामर्श के द्वारा भर सकती हैं। व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देते समय, सहायता देने वाले प्राधिकरण के लिए यह अनुमन्य होगा कि वह नियमों अथवा विनियमों के द्वारा ऐसी औचित्यपूर्ण शर्तें जिनके आधार पर भिन्न-भिन्न सहायता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा गुणानुक्रम के अनुसार और राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश दिये जाएं, निर्धारित कर सकती है। किसी सहायता-प्राप्त संस्था को परिभाषित करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार, संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई सहायता के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखेगी चाहे यह सहायता वित्तीय अनुदान/इक्विटी, भूमि, रियायती दर पर भूमि, रियायती दर पर पट्टे पर दी गई भूमि अथवा भवन के रूप में दी गई हो या फिर ऐसी ही कोई सुविधा जो रियायती दर पर दी गई हो। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय, समाज के कमजोर वर्गों को भी ध्यान में रखे जाने का प्रावधान करेंगे जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है।

प्रबंधन अथवा अन्यथा सीटों पर, ऐसे सभी प्रवेशों के लिए न्यूनतम पात्रता मापदण्ड, अभातशिप के विद्यमान विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।

(2) प्रबंधन सीटें

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन सीटों का एक निश्चित प्रतिशत तय करें जिन्हें तकनीकी संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए आरक्षित किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा प्रतिशतता का यह निर्धारण, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और अल्प संख्यक तथा गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए अलग-अलग प्रतिशत तय किया जा सकता है। तदनुसार, राज्य सरकार विवेकसम्मत रूप से प्रबंधन सीटों के ऐसे प्रतिशत के बारे में निर्णय लेगी। तथापि प्रबंधन सीटों के प्रतिशत की अधिकतम सीमा, गैर-अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थाओं के मामले में, संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि 15 प्रतिशत प्रबंधन सीटें भरी न जा सकें तो रिक्त सीटें, राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रवेश परामर्श के माध्यम से अन्य उम्मीदवारों के साथ भरे जाने के लिए सामान्य सीटों में वापस मिला दी जाएंगी।

**माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों चाहे वे सहायता प्राप्त हों अथवा गैर -सहायताप्राप्त, का शासनाधिकार अबाध नहीं है, इसलिए शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करने के लिए और उत्कृष्टता बनाये रखने के लिए नियामक उपाय किये जा सकते हैं और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में भी ऐसा ही किया जाये।**

अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए वर्तमान में प्रचलित स्थिर प्रतिशत (वर्तमान 50 प्रतिशत प्रबंधन सीटें), माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए एक नया प्रतिशत, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तय किया जाएगा। **इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से यह अपेक्षित होगा कि वे अल्पसंख्यक जनसंख्या और उनकी शैक्षिणिक जरूरतों के आधार पर, अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थाओं की सूची घोषित करें ताकि इस प्रकार घोषित अल्पसंख्यक संस्थाएं, अल्पसंख्यक प्रबंधन सीटों का लाभ प्राप्त कर सकें।** जनसंख्या के आधार पर और संबंधित राज्य में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक जरूरतों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंधन सीटें तय करते समय राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये प्रबंधन सीटें, **संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत की औचित्य-पूर्ण सीमा से अधिक न हो जायें। साथ ही अल्पसंख्यक संस्थाओं में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कोटा तय करते समय राज्य सरकारें, पिछले 5 वर्षों में उस संस्था द्वारा वास्तव में प्रविष्ट अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रतिशत से भी दिशा ग्रहण करेंगी। अल्पसंख्यक सीटों सहित सभी सीटों पर प्रवेश, अखिल भारतीय/ राज्य स्तरीय परीक्षा/परीक्षाओं में तय किये गये परस्पर गुणानुक्रम के अनुसार दिया जायेगा।** अल्पसंख्यक संस्थाओं का प्रबंधन, अल्पसंख्यक प्रबंधन सीटों के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय उसी समुदाय के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देगा जिस समुदाय के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त किया गया है। प्रबंधन कोटे के अंतर्गत रिक्त रह गई कोई सीट, राज्य के प्रवेश परामर्श के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों के साथ भरे जाने के लिए सामान्य सीट कोटे में वापस मिला दी जाएगी।

(3) शुल्क:

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि एक दृष्टि से तो शिक्षा को परमार्थ कार्य माना जाता है इसलिए सरकार ऐसे विनियम बना सकती है जिनके द्वारा संस्था द्वारा लाभ कमाये जाने को निषिद्ध बनाते हुए, शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित की जाये । चूंकि किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना का उद्देश्य, संस्था की परिभाषा के अनुसार "परमार्थ" ही होता है इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई शैक्षणिक संस्था इतना अधिक शुल्क वसूल नहीं कर सकती जितने अधिक शुल्क की आवश्यकता उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है।

तथापि, शैक्षणिक संस्था द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने और संस्था के विस्तार के उद्देश्य हेतु एक उचित राजस्व अधिशेष सृजित करके रखा जा सकता है ।

इस निर्णय के आलोक में, संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को लगातार उन्नत बनाते रहें और यह कार्य संस्थानों द्वारा अतिरिक्त निधियां प्रदान करके बेहतर शिक्षक और काम का बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर किया जा सकता है। **इस उद्देश्य के लिए संसाधनों का सृजन, सांस्थानिक स्तर पर परामर्श परियोजनाओं के माध्यम से और संकाय सदस्यों की पहल पर ऐसी ही अन्य गतिविधियां पूरी करके किया जाना संभव है। संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने निवेश का पूरा भार, भारी शुल्क वसूल करने के रूप में विद्यार्थियों पर न डालें।** शुल्क के माध्यम से किये जाने वाले राजस्व सृजन का उपयोग, मुख्यतः संस्थानों का खर्च वहन करने के लिए किया जाना चाहिए।

अभातशिप अधिनियम की धारा 10 (जे) के अधीन अपने सांविधिक दायित्वों जिनके द्वारा शिक्षण एवं अन्य शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में मानदण्ड तय करने और दिशा निर्देश देने की शक्तियां अभातशिप को प्राप्त है, के अनुपालन में एक उचित शुल्क संरचना तैयार करने के कार्य में संस्थाओं की सहायता करने की दृष्टि से अभातशिप, शुल्क तय किये जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करेगी। शुल्क तय करने के लिए दिशा निर्देश/सूत्र तैयार करने का काम, अभातशिप/मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौंपा जायेगा, जिसमें शिक्षा जगत के सदस्य, विषय विशेषज्ञ और आर्थिक एवं वित्तीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। **ऐसा किये जाने तक, राज्य सरकार एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में समान शुल्क संरचना तय कर सकती है जो कि चालू शैक्षिक वर्ष के लिए प्रबंधन सीटों पर प्रविष्ट विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों पर लागू की जाये और यह शुल्क संरचना, अभातशिप के विद्यमान विनियमों के अनुसार पहले से ही गठित (यदि आवश्यक हो तो अब गठित कर ली जाये), शुल्क समिति जिसमें शिक्षा जगत से लिए गए सदस्य और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हैं, के माध्यम से तय की जा सकती है।**

जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि अब शुल्क की " सशुल्क " एवं " निःशुल्क " जैसी कोई श्रेणियां नही होंगी। राज्य शुल्क समिति द्वारा तय की जाने वाली शुल्क संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भावना के अनुसार संस्थाओं द्वारा लाभार्जन निषिद्व किया जाना सुनिश्चित हो जाये। इस प्रकार तैयार किया गया समान शुल्क, राज्य की सभी निजी गैर -सहायताप्राप्त संस्थाओं में चालू शैक्षिक सत्र 2003-2004 के दौरान प्रविष्ट किये जाने वाले विद्यार्थियों के नये बैच पर लागू किया जाएगा। वर्तमान विद्यार्थी इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगे और वे वर्तमान शुल्क संरचना द्वारा ही शासित होते रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीकी शिक्षा का वाणिज्यीकरण न हो, राज्य स्तरीय समिति, शुल्क संरचना तय करते समय सभी जरूरी कदम उठायेगी। निजी गैर - सहायताप्राप्त संस्थानों के लिए यह वाछंनीय होगा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों और पात्र मेघावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करें अथवा उनसे कम शुल्क लें।

(4) निजी गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं का शासकीय निकाय :

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, अभातशिप द्वारा अपने " अनुमोदन विनियम, 1994 " में यथा-अधिसूचित " शासकीय निकाय आदर्श संरचना " निरस्त की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि निजी गैर -सहायताप्राप्त संस्थाओं को अपना खुद का शासकीय निकाय गठित करने का अधिकार होगा और इसके लिए राज्य अथवा संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि जहां अभातशिप, निजी गैर -सहायताप्राप्त संस्थाओं के शासकीय निकाय में किसी को नामित किये जाने पर जोर नहीं देगी, वहीं सम्बद्वक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार सम्बद्वन की न्यूनतम शर्त रखेगी जैसे कि शासकीय निकाय के सदस्यों की, योग्यता के निर्धारण की, जिससे कि शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार लगाई गई शर्तों की समीक्षा, यथा-आवश्यक रूप से अभातशिप द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये शर्तें, अनुचित प्रतिबंध की श्रेणी में तो नहीं आतीं।

निजी गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के लिए यह वांछनीय होगा कि वे शासकीय निकाय में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग क्षेत्र के पेशेवरों में से रखें ताकि अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में लगातार सुधार के लिये, अन्यत्र संस्थाओं में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं की बराबरी करने के लिए, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनके अभिनव विचारों से लाभान्वित हुआ जा सके।

प्रो. आर. एस. निर्जर, सदस्य सचिव

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/162/02]

## ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2003

### INTERIM POLICY REGULATIONS

**No. F. 37-3/Legal (v)/2003.**—In exercise of the powers conferred under Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), read with Section 10 (b), 10(j) and 10(o) of AICTE Act, and the All India Council for Technical Education hereby makes the following interim Regulation.

**Background:**

Consequent to the Judgement delivered on 31-10-2002, by Eleven Judges Bench of the Hon'ble Supreme Court in W.P. No.317 of 1993, titled TMA Pai Foundation V/s State of Karnataka and Others, certain changes are required to be undertaken in the various provisions of AICTE Regulations and Guidelines.

**It has been decided by the Council that an interim policy pronouncement may be made in furtherance of the Judgement of Hon'ble Supreme Court so as to pass on some benefits to the technical institutions from the ensuing academic year 2003-2004.**

The revision of AICTE Regulations in respect of fees and admissions is under consideration and till such time the same are amended, the following interim Regulation shall apply, in supersession of existing provisions, as given below.

**Applicability :** **These shall be applicable to all such technical institutions and the technical courses / programmes which are governed by the existing Regulation of AICTE.**

**(1) Admission:**

The management of the technical institutions, minority and non-minority shall follow some identifiable or reasonable methodology of admitting students as held by Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Court also held that excellence in professional education would require greater emphasis on merit of students seeking admission and appropriate Regulations for this purpose may be made. For professional and technical colleges, the merit is usually determined by common entrance test conducted by Government agencies. In the matter of admission into technical programmes the merit of the students shall be the criterion by holding entrance test in a fair manner.

Pursuant to the said Judgement, the Management of private unaided institutions would require to devise a mechanism of transparent admission process for admitting meritorious students under the management seats which can best be done by adopting the mechanism as may be prescribed by the concerned State Government in order to reduce the multiplicity of admission test in the interest of students and the society as a whole. It has accordingly been decided that in order to facilitate admissions into various private unaided institutions in the country, whether minority or non-minority, the AICTE approved institutions must necessarily join the Central or the State's Common Admission Test ensuring a transparent admission process.

All the seats including the seats reserved for the management must be filled up through Joint Entrance Test / Common Entrance Test conducted by Central / State Govt. or University followed by counseling as per present practice. However, the private unaided institutions may fill up the management seats by having their own counseling in an objective and transparent manner taking the students from same merit list prepared on the basis of Joint Entrance Test / Common Entrance Test of Central / State Government. While giving aid to professional institutions, it would be permissible for the authority giving aid to prescribe by rules or regulations, the reasonable conditions on the basis of which admission will be granted to different aided colleges by virtue of merit, coupled with the reservation policy of the State. For the purpose of defining an Aided institution the State Government shall take into consideration every aspect of support that may have been provided to the institutions, whether in the form of financial grant/equity, land, subsidized land, subsidized leased land or building or any such facility given at concessional rate. Also the State Government and University shall provide consideration for weaker section of the society as held by Hon'ble Supreme Court.

For all such admissions the minimum eligibility criteria, under management or otherwise must be in accordance with the existing Regulations and Guidelines of AICTE.

(2) Management Seats:

Pursuant to the Judgement of the Hon'ble Supreme Court the State Governments are required to prescribe a certain percentage of seats, which can be reserved for admission by the management of technical institutions. The prescription of percentage has to be made by the State Govt. in accordance with the local needs and different percentage can be fixed for minority and non -minority technical institutions. Accordingly the State

Govt. shall judiciously decide such percentage of management seats. The maximum limit of percentage of management seats shall, however, not exceed 15% of sanctioned intake, in case of non-minority technical institutions. In the event of the 15% management seats not being filled up the vacant seats may be reverted back to general seats to be filled up through State Counselling along with other candidates.

**The Hon'ble Supreme Court held that the minority institutes, aided or unaided, the right to administer, not being absolute, there could be regulatory measures for ensuring educational standards and maintaining excellence thereof and it is so in the matter of admission of professional institutes.**

The rigid percentage (present 50% management seats) for minority institutions as prevalent today stands overruled by the Hon'ble Supreme Court, which shall be replaced by new percentage to be fixed by concerned State Govt. according to its local needs, for minority institutions. **For this purpose the State Governments are required to declare the list of minority technical institutions based on minority population and their educational needs to enable such declared minority institutions to avail the benefit of minority management seats.** The State Government, while fixing the management seats for minority institutions based on the population and the educational needs of the minorities in the concerned State shall ensure that such management seats does not go beyond reasonable limit of 50% of sanctioned intake. **Further in fixing quota for minority students in minority institutions, the State Governments shall be guided by the percentage of minority students actually admitted by the Institution in the last 5 years. Admission, even against minority seats shall be done as per inter se merit, determined in All India/State level Test(s).** The management of minority institutions shall admit the minority students of the same community for which the minority status has been obtained while admitting students under minority management seats. Any seat remaining unfilled under management seats must be reverted back to general seats to be filled up through State Counselling along with other candidates.

(3) Fees:

The Hon'ble Supreme Court also held that education is, in a sense, regarded as charitable, the Govt. can provide Regulation that will ensure excellence of education, while forbidding profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution is by definition "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling the object.

There can, however, be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of quality education and expansion of institution.

In the light of this Judgement the institutions are required to continuously upgrade their infrastructural facilities for achieving excellence, which can be done by inducting better teachers and better working environment with infusion of additional funds by the institutes. **The resource generation for the purpose can be possible through Consultancy Projects at institutional level and similar activities under the initiatives of faculty members. The institutions should not pass on the entire burden of their investments onto the students by way of charging heavy fees.** The revenue generation through fees should be mainly utilized for running expenditure of the institutes.

In order to facilitate the institutions to work out a reasonable fee structure the AICTE, in pursuance of its statutory obligations under Section 10 (j) of AICTE Act, which empowers to AICTE to fix Norms and Guidelines for charging tuition and other fees, would draft guidelines for fee fixation. The task of drafting of guidelines / formula for fee fixation will be assigned to a high-powered committee to be appointed by AICTE /MHRD, Govt. of India comprising members from academia, subject experts and economic and financial experts. **Till such time, as an interim arrangement, the State Government may decide a uniform fee structure, to be made applicable to all the students including those of management seats, for the current academic year through its Fee Committee comprising members drawn from academia and financial experts, already constituted (to be constituted, if necessary) as per existing Regulations of AICTE. There shall be no 'Payment' & 'Free' category of fees as directed by Hon'ble Supreme Court. The fee structure to be decided by the State Committee should be such that it ensures forbidding profiteering by the institutions, in furtherance of Judgement of Hon'ble Supreme Court. The uniform fee so decided shall be applicable to the fresh batch of students to be admitted during the current academic year, 2003-04 in all the private unaided institutions in the State. The existing students shall not be subjected to such changes and shall continue to be governed by the present fee structure. The State Committee shall take all necessary steps while working out the fee structure to ensure prevention of commercialization of technical education.** It shall be desirable for the private unaided institutes to provide scholarships or charge reduced fees to the economically weaker section and deserving meritorious students.

804 G1/03 -2

## (4) Governing Body of Private Unaided Institutions:

Consequent to the Supreme Court Judgement the Model Constitution of Governing Body as notified by AICTE in it's approval Regulations 1994, stands overruled. The Hon'ble Supreme Court held that a Private unaided Institution will have right to constitute its own Governing Body, for which qualifications may be prescribed by the State or the concerned University.

It has been decided that while AICTE will not insist of any nomination in the Governing Body of Private unaided Institutions, the Affiliating University / State Government shall impose minimum condition of affiliation, such as, prescription of qualification of governing body members, in order to ensure academic excellence. The conditions so imposed will be subjected to scrutiny by AICTE, wherever necessary, to ensure that the same are not unreasonable restrictions.

It shall be desirable for the private unaided institutes to induct atleast 50% of members of the Governing Body drawn from renowned academia, academic administrators, subject field experts and a professionals from industry in order to seek their innovative ideas for continuous improvement in the delivery of teaching learning process, matching best practice elsewhere and achieve excellence.

PROF. R. S. NIRJAR, Member Secy.

[No. ADVT-3/4/Extraordinary/162/02]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.